

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सैयद शीराज अली जैदी (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 307 सन 2018

अनवान :-

1. विनोद कुमार पुत्र सागर जाति ब्रह्मण निवासी करोती तहसील नोहर।

बनाम

1. सागरमल पुत्र हरलाल जाति ब्रह्मण निवासी करोती तहसील नोहर।
2. छबीलाराम 3. रामस्वरूप 4 पवन कुमार 5 जयकिशन पि0 सागरमल जाति ब्रह्मण निवासी करोती तहसील नोहर।
6. माया 7 सुशीला 8 अनुसूया पुत्रीया सागरमल पुत्र हरलाल जाति ब्रह्मण निवासी करोती तहसील नोहर।
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 ।

उपस्थित : श्री मदन मोहन जोशी अधिवक्ता वादी

निर्णय दिनांक :- 22.02.2019

वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद पेश किया जाकर निवेदन किया कि रोही मौजा सोतीबडी के खाता संख्या 136/128 के खसरा न0 140/2 की 1.3600हैक व रोही मौजा करोती के खाता संख्या 41/41 के खसरा न0 60 की 1.4160हैक खसरा न0 85/3 की 1.3920हैक कुल 2.8080हैक भूमि प्रतिवादी संख्या 1 बतौर खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वाद भूमि पूर्व में वादी के दादा हरलाल के नाम से दर्ज थी वादी के दादा हरलाल के देहान्त होने के बाद विरास्तन से वाद भूमि वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है विरास्तन से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज होने के कारण वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 एवं तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 ता 8 का बराबर का हक हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 6 ता 8 जो वादी की बहने है ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 का बराबर का हक हिस्सा है जिसका आपसी सहमति से बटवारा कर लिया उसी के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 8 को तलब किया गया तत्पश्चात प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 स्वयं न्यायालय में उपस्थित होकर वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की वाद भूमि पूर्व में वादी के दादा के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने के बाद विरास्तन से प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का पिता है के नाम से दर्ज हुई है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 का बराबर का हक हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 5 ता 8 जो वादी की बहने है ने निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग अपने भाई/पिता के पक्ष में किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि

राजा


वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है व अपने कथनों के समर्थन में राजीनामा पेश किया जा चुका है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया राजस्व रिकार्ड में वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है जो पूर्व में वादी के दादा के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने पर प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई है अर्थात् विरास्तन से वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई है इसलिये पैतृक सम्पत्ति है हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6 के अनुसार पैतृक सम्पत्ति में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 का बराबर का हक हिस्सा तथा वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 5 ता 8 जो वादी की बहने हैं ने अपने हक हिस्से की भूमि का त्याग किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 5 ता 8 ने स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की वाद भूमि में उसने अपने हकों का त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से उनके बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है व अपने कथनों के समर्थन में राजीनामा पेश किया जा चुका है।

इसप्रकार वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 ने स्वीकार करने के कारण काबिल डिक्री है किन्तु प्रतिवादी संख्या 5 ता 8 ने अपने हकों का त्याग किया गया है इसलिये राज्यहकों की सुरक्षा हेतु स्टाम्प ड्यूटी कायम की जानी उचित है।

अतः वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों एवं आपसी सहमति के आधार पर वादी का वाद डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा सोतीबडी के खाता संख्या 136/128 के खसरा न0 140/2 की 1.3600 हैक् भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 तथा तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 बहिब के खातेदार काश्तकार है तथा रोही मौजा करोती के खाता संख्या 41/41 के खसरा न0 60 की 1.4160 हैक् खसरा न0 85/3 की 1.3920 हैक् कुल 2.8080 हैक् भूमि में वादी व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 का 2.41585 हैक् तथा प्रतिवादी संख्या 1 का .0.39215 हैक् भूमि के खातेदार काश्तकार है प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहने हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेमे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 22.02.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया।


उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)